**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 116**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2025 / 6 श्रावण, 1947 (शक)**

**बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास**

***116. श्री राजा राम सिंहः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बचा कर लाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत पुनर्वास सहायता प्रदान किए जाने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में मुआवजे के भुगतान में विलंब का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/जिला-वार कुल कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है;

(ग) वर्ष 2020 और 2024 के बीच आधिकारिक तौर पर बचाए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या तथा एक लाख रुपये की सहायता सहित पूर्ण पुनर्वास पैकेज प्राप्त कर चुके ऐसे मजदूरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है;

(घ) बचाए गए मजदूरों को वित्तीय सहायता का, विशेषकर ऐसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र में जहाँ संवितरण में लगातार देरी हो रही है, समय पर और स्वचालित संवितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की जिला स्तर के अधिकारियों को देरी के लिए अधिक जवाबदेह बनाने तथा चूक करने वाले जिलों की संख्या की जानकारी दिए जाने के लिए निगरानी तंत्र को संशोधित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

** *****

**"बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास" के संबंध में श्री राजा राम सिंह द्वारा दिनांक 28.07.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 116* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) से (ङ): बंधुआ मज़दूरी प्रथा को 25 अक्टूबर, 1975 से पूरे देश में क़ानूनी तौर पर समाप्त कर दिया गया है। बाद में इसे बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जब कभी भी बंधुआ मज़दूरों के अस्तित्व में होने का पता चलता है, ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास के लिए पहचान की जाती है। बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ मज़दूरों की पहचान, रिहाई और मुक्त कराए गए बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास की सीधी ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की होती है।

अधिनियम के अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों और सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों को कुछ कर्तव्य/जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों को उनके सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों को अपराधों के विचारण के लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना-2016 कार्यान्वित कर रहा था, जिसे 27.01.2022 से संशोधित किया गया है और अब इसे बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना-2021 के नाम से जाना जाता है। यह योजना मांग आधारित है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के प्रयोजनार्थ राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा संबंधित जिले को धनराशि अंतरित की जाती है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकारों को नकद पुनर्वास सहायता के लिए कोई समतुल्य अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है।
- इसमें पुनर्वास के प्रत्येक मामले के लिए 30,000 रुपये तक की तत्काल वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
- मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को उनकी श्रेणी और शोषण के स्तर के आधार पर बंधुआ होने का प्रमाण मिलने पर क्रमशः 1.00 लाख रुपये, 2.00 लाख रुपये और 3.00 लाख रुपये की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना में प्रति संवेदनशील जिलों को तीन वर्षों में एक बार 4.50 लाख रुपये, मूल्यांकन अध्ययनों के लिए 1.50 लाख रुपये (प्रति वर्ष अधिकतम पांच मूल्यांकन अध्ययन) तथा जागरूकता सृजन के लिए प्रति राज्य प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है।

- प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला स्तर पर कम से कम 10 लाख रुपये के स्थायी कार्पस  के साथ एक बंधुआ मजदूर पुनर्वास निधि स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस निधि का उपयोग मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, मुक्त कराए गए मज़दूरों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बंधुआ मज़दूरों की पहचान और बचाव तथा अपराधियों के अभियोजन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए इसे सभी राज्य सरकारों को जारी किया गया है। ऐसे मामलों में दोषसिद्धि दर में सुधार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के तत्वावधान में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ज़िला एवं राज्य स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक/श्रम विभाग के अधिकारियों जैसे फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुक्त कराए गए और पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति की गई पुनर्वास की राशि का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

*****

**अनुबंध**

**"बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास" के संबंध में श्री राजा राम सिंह द्वारा दिनांक 28.07.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 116* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।**

| क्रम सं. | वर्ष | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | बंधुआ मजदूरों की संख्या जिन्हें तत्काल वित्तीय/अंतिम पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है | बंधुआ मजदूरों को प्रदान की जाने वाली तत्काल वित्तीय/अंतिम पुनर्वास सहायता की राशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-21 | असम | 1 | 2.00 |
| | | बिहार | 220 | 43.65 |
| | | मध्य प्रदेश | 34 | 6.20 |
| | | राजस्थान | 49 | 9.80 |
| | | पश्चिम बंगाल | 16 | 11.20 |
| 2. | 2021-22 | बिहार | 290 | 58.00 |
| | | राजस्थान | 50 | 10.00 |
| | | तमिलनाडु | 1016 | 204.73 |
| | | छत्तीसगढ | 250 | 50.00 |
| 3. | 2022-23 | राजस्थान | 70 | 14.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 287 | 390.20 |
| | | तमिलनाडु | 297 | 59.40 |
| 4. | 2023-24 | राजस्थान | 56 | 11.20 |
| | | तमिलनाडु | 176 | 56.80 |
| | | छत्तीसगढ | 76 | 15.20 |
| | | पांडिचेरी | 5 | 15.00 |
| | | ओडिशा | 155 | 15.50 |
| 5. | 2024-25 | राजस्थान | 50 | 10.00 |
| | | तमिलनाडु | 196 | 57.40 |

*****